केदारनाथ के लैंडफिल में अनुपचारित अपशिष्ट

चर्चा में क्यों?

पर्यावरणविद इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अधिकारी [पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हिमालयी मंदिर केदारनाथ] के **आसपास लैंडफिल स्थलों पर टनों अनुपचारित अपशिष्ट डालना जारी रखे हुए हैं।**

मुख्य बिंदु

- **केदारनाथ में अपशिष्ट डंपिंग:**
  - यह पता चला कि वर्ष 2022 और 2024 के बीच केदारनाथ के पास **दो लैंडफिल साइटों पर 49.18 टन असंसाधित अपशिष्ट फेंका** गया।
  - अनुपचारित अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि का रुझान देखा गया है, जो 2022 में 13.2 टन, 2023 में 18.48 टन तथा 2024 में अब तक 17.5 टन है।
- **पर्यावरणीय चिंता:**
  - कार्यकर्त्ताओं ने [अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली] की आलोचना की तथा इस बात पर ज़ोर दिया कि **पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील केदारनाथ क्षेत्र** में उचित अपशिष्ट उपचार सुविधाओं का अभाव है।
    - [ग्लेशियरों] के बीच 12,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित इस मंदिर के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिये तत्काल अपशिष्ट प्रबंधन सुधार की आवश्यकता है।
  - केदारनाथ के निकट दो लैंडफिल स्थल क्षमता के करीब पहुँच चुके हैं और निरंतर लापरवाही से इस क्षेत्र में वर्ष 2013 की आपदा जैसी एक और त्रासदी हो सकती है।
- **सरकारी एवं कानूनी निगरानी:**
  - [राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)] और [राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)] ने शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को केदारनाथ में सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया।
    - NMCG ने पाया कि **केदारनाथ से आने वाला अनुपचारित अपशिष्ट गंगा की सहायक नदी [मंदाकिनी] को प्रदूषित कर रहा है तथा** [रुद्रप्रयाग] ज़िला प्रशासन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र

- पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र या **पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के** क्षेत्र हैं।
- ईएसजेड को [पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986] के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार **द्वारा अधिसूचित किया जाता है।**
  - संवेदनशील गलियारों, संपर्कता और पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पैचों या रास्तों वाले स्थानों के मामले में, **जो भूदृश्य संपर्कता के लिए महत्वपूर्ण हैं,** यहाँ तक कि 10 किलोमीटर चौड़ाई से अधिक के क्षेत्रों को भी पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है।
- इसका मूल उद्देश्य **राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है** , ताकि संरक्षित क्षेत्रों में स्थित संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/untreated-waste-in-landfills-of-kedarnath